न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 03/2021 (अपील)

GCMS No. 2021/12

हरविन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंह जाति सिक्ख निवासी म.नं. सी–62, इन्द्रा कॉलोनी, विज्ञाननगर, कोटा (राज.)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. रणवीर सिंह पुत्र हरविन्दर सिंह जाति सिक्ख
2. श्रीमति गुरूचरण कौर पत्नि रणवीर सिंह जाति सिक्ख निवासीगण म. नं. सी–62 इन्द्रा कॉलोनी, विज्ञाननगर, कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा प्रकरण संख्या 110/2020

उपस्थितः–

1. **श्री दिनेश सिंह, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री विरेन्द्र कुमार राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण**

निर्णय

दिनांकः– 12 /10/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अध्हरविन्दर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई कर दिनांक 23.12.2020 को आदेश पारित किया कि–"प्रकरण में वाद कारण सम्पत्ति/ मकान के अन्तरण एवं सम्पत्ति/ मकान के बंटवारे से होना जाहिर होता है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 04.01.2021 को पेश कर कथन किया है कि अपीलार्थी को नगर विकास न्यास कोटा से दिनांक 26.7.2002 को इन्द्रा विहार कोटा में मकान आवंटितसुदा है जिसका पंजियन भी दिनांक 6.6.2003 को किया हुआ है जिसके भू–तल पर ही रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी ने अपने मकान में एक कमरा लेट बाथ में निवास हेतु सहमति दे रखी है अपीलार्थी एवं उसकी पत्नि ही उक्त मकान के मालिक व काबिज है तथा उक्त मकान अपीलार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे अपीलार्थी को रेस्पोडेंट को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का पूर्णतया विधिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि कारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अप्रार्थीगण /रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी व उसकी पत्नि को लगातार परेशान करते चले आ रहे है, ना तो अपीलार्थी व उसकी पत्नि को खर्चा देते है ना ही सम्मान करते है व आए दिन रेस्पोडेंट्स, अपीलार्थी व उसकी पत्नि के

साथ लडाई झगडा कर मारपीट करते है व प्रताडित करते है तथा अपीलार्थी के मकान को स्वयं के नाम करवाने हेतु दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी देते है । अपीलार्थी की रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई सार संभाल हारी बीमारी में दवा दारू तथा कोई देखभाल नहीं करते है तथा अपीलार्थी के साथ रेस्पोडेन्ट के द्वारा किये गये दुर्व्यवहार तथा आचरण से अपीलार्थी व उसकी पत्नि अत्यधिक क्षुब्ध व बीमार रहने लगे है । अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख 110/2020 दिनांक 23.12.2020 को पारित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 में चाहा गया अन्तिम अनुतोष पारित करने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पा0 नं0 1 व 2. की ओर से विरेन्द्र कुमार राठौड़ अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलांट एवं वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान नगर स्थित म.नं. सी–62 अपीलार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, उक्त मकान का आवंटन अपीलार्थी के नाम है तथा पंजियन भी प्रार्थी के नाम दिनांक 6.6.2003 को हो रखा है, जिसका मालिक अपीलार्थी है, रेस्पोडेन्टगण को भू–तल पर रहने के लिए एक कमरा एवं लेटबाथ बिना कोई किराया व चार्जेज के पुत्र पुत्रवधु होने के नाते रहने के लिए सहमति दे रखी है किन्तु रेस्पोडेन्टगण का व्यवहार अपीलार्थी के प्रति ठीक नहीं है तथा आए दिन लडाई झगडा करते है एवं मकान स्वयं के नाम कराना चाहते है तथा आए दिन धमकिया देते है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अप्रार्थीगण /रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी व उसकी पत्नि को लगातार परेशान करते चले आ रहे है, ना तो अपीलार्थी व उसकी पत्नि को खर्चा देते है ना ही सम्मान करते है व आए दिन रेस्पोडेंट्स, अपीलार्थी व उसकी पत्नि के साथ लडाई झगडा कर मारपीट करते है व प्रताडित करते है तथा अपीलार्थी के मकान को स्वयं के नाम करवाने हेतु दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी देते है । अपीलार्थी की रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई सार संभाल हारी बीमारी में दवा दारू तथा कोई देखभाल नहीं करते है तथा अपीलार्थी के साथ रेस्पोडेन्ट के द्वारा किये गये दुर्व्यवहार तथा आचरण से अपीलार्थी व उसकी पत्नि अत्यधिक क्षुब्ध व बीमार रहने लगे है । उक्त विवादित मकान का अपीलांट एकमात्र मालिक होने के नाते रेस्पोडेन्टगण से परेशान होने के कारण इन्हें मेरे स्वयं के मकान से बेदखल करना चाहता हूँ । अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख 110/2020 दिनांक 23.12.2020 को पारित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 में चाहा गया अन्तिम अनुतोष पारित करने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पो0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने वादकारण सम्पत्ति / मकान के अन्तरण एवं सम्पत्ति मकान के बंटवारा होना जाहिर मानकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसकी अप्रसन्नता में यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलान्ट के द्वारा अपील मैमों में यह तथ्य वर्णित किया है कि अपीलार्थी व उसकी पत्नि को मकान से बेदखल नहीं करने तथा कब्जा नहीं करने का प्रयास करने शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग व निवास में बाधा उत्पन्न ना करने का अनुतोष नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबन्द करने का अनुमोष चाहा गया है जबकि उक्त मकान में अपीलान्ट अपनी पत्नि के साथ शान्तिपूर्वक रूप से निवास कर रहा है और उस मकान में रेस्पोडेन्ट के द्वारा कभी भी बेदखल करने अथवा कब्जा करने का कोई

प्रयास नहीं किया गया है । उक्त मकान में लगभग कुल 11 कमरे है जिसमें केवल रेस्पोडेन्ट अपनी व नाबालिग पुत्री के साथ निवास कर रहा है तथा शेष परिसर अपीलान्ट के कब्जे में है जिसमें अपीलान्ट बच्चों को किराये पर देकर हॉस्टल का संचालन करता है, ऐसी परिस्थिति में रेस्पोडेन्ट के द्वारा कब्जा करने व बेदखल करने का कथन काल्पनिक है । उक्त मकान के फर्स्ट फ्लोर का निर्माण करने में जो ऋण लिया गया था वह समस्त ऋण रेस्पोडेन्ट के द्वारा ही चुकाया गया है, ऐसी परिस्थिति में उक्त मकान का पट्टा विलेख अपीलान्ट के नाम जरूर है लेकिन उक्त मकान भी रेस्पोडेन्ट के नाना–नानी यानि अपीलान्ट के सास–ससुर ने दिलवाया गया है, जिसमें निमार्ण में भी नाना–नानी ने सहयोग किया है और फर्स्ट फ्लोर के निर्माण व खर्चा रेस्पोडेन्ट के द्वारा वहन किया गया है । उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट के द्वारा स्वअर्जित बताई गई है, जबकि उक्त मकान कच्ची बस्ती क्षैत्र में है जो कि अपीलान्ट के पिता का कब्जा था किन्तु कच्ची बस्ती नियमन का पट्टा अपीलान्ट के नाम जारी हुआ और उसी का ही दुरूपयोग कर यह अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलान्ट यह दबाव बनाता है कि रेस्पोडेन्ट अपना सारा वेतन अपीलान्ट को देवें और उक्त मकान से बेदखल कर उक्त मकान छोटे भाई को दान अथवा वसीयत कर देवें और इसी कारण यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट को नियमित खाना खुराक देते आए है एवं सार संभाल करते रहे है तथा आगे भी करना चाहते है । अतः मकान निमार्ण में रेस्पोडेन्ट का भी पैसा लगा होने से उक्त विवादित मकान में रहने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को भी होने से रेस्पोडेन्ट को बेदखल किया जाना न्यायसंगत नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है, प्रार्थी अपीलान्टान का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट की स्वअर्जित आय से निर्मित मालिकाना स्वामित्व वाले मकान सी–62, इन्द्रा कॉलोनी, विज्ञाननगर कोटा से रेस्पोडेन्टगण द्वारा आए दिन परेशान करने एवं लडाई झगडा करने व प्रताड़ित करने के कारण रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करना चाहते है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया था कि प्रकरण में वाद कारण सम्पत्ति/ मकान के अन्तरण एवं सम्पत्ति/ मकान के बंटवारे से उत्पन्न होने वाला विवाद मानकर खारिज किया गया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से एवं अपीलान्ट की प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेन्टगण पुत्र एवं पुत्रवधु को अपनी स्वअर्जित मकान से बेदखल करना चाहते है । अपीलान्ट द्वारा भरण पोषण सम्बन्धी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों से भी यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट को भरण पोषण एवं रूपये पैसे की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है मात्र अपनी बहू एवं पुत्र को घर से बेदखल करना चाहता है । इस अधिनियम की मंशा केवल मात्र सम्पत्ति विभाजन ही नहीं है अपितु वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण के लिए यह अधिनियम 2007 बनाया गया है । अपीलान्ट का उक्त विवादित मकान काफी बड़ा है, अपीलान्ट के कथनानुसार भू–तल पर एक कमरा एवं लेट बाथ में रेस्पोडेन्टगण निवास करते है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रथम तल के निमार्ण में लगी राशि का भुगतान उनके द्वारा किया जाना बताया है जिसकी पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट भी पेश किया है । किन्तु यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. परिणामस्वरूपः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में विहित प्रावधानों के तहत पक्षकारान की सुनवाई कर नवीन निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक **12.10.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

कोटा